

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
खेल निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 03 जून, 2019

विषय- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून के हॉस्टलों की छतों के मरम्मत कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1192/स्पो०कॉ०हॉ०छत मरम्मत/बॉलीबाल कोर्ट निर्मा०पत्रा०/2016-17/दे०दून, दिनांक 02 फरवरी, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-देहरादून के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून के हॉस्टलों की छतों के मरम्मत कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण विकास निगम (खेल इकाई), देहरादून द्वारा तैयार किया गया प्रस्तुत आगणन ₹ 34.64 लाख को विभागीय टी०ए०सी० के परीक्षणोंपरान्त टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित ₹ 34.62 लाख (सिविल कार्य हेतु ₹ 34.62 लाख) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्य की महत्ता एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुये उक्त निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम एवं अन्तिम किस्त के रूप में ₹ 34.62 लाख (₹ चौतीस लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. यह स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं०-318/XXVIII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014, में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं०-474/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरंतर व गठन समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
8. अधिप्राप्ति कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।
10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।
11. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11-लेखाशीर्षक-4202-खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-13-देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य हेतु अनुदान पक्ष के नामें डाला जायेगा।**
12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-16(म0)/XXVII(3)/2019-20, दिनांक 27 मई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

**संलग्नक :- अलाटमेंट आई0डी0 संख्या-519060110001 , दिनांक : 03 जून, 2019**

**भवदीय,**

**(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।**

पृष्ठांकन संख्या- 172 /VI/2019-21(02)/2019, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, देहरादून।
5. प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून।
6. जिला क्रीडाधिकारी, देहरादून।
7. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (खेल इकाई), देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(अतर सिंह)  
संयुक्त सचिव।



**IFMS**  
Uttarakhand

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)**  
**Secretary-Secretary, Sports(S047)**  
HOD-Director Sports(2441)

आवंटन पत्र संख्या -.172(VI)/2019:21(02)2019  
अनुदान संख्या-011

आवंटन आई डी-S19060110001  
आवंटन पत्र दिनांक-03-JUN-2019

लेखा शीर्षक

4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति  
पर पूंजीगत परिव्यय  
102-खेल-कूद स्टेडियम

03-Sports and Youth Services  
Sports Stadium  
13-देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन  
का निर्माण

00-देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन  
का निर्माण

Voted

4	2	0	2	0	3	1	0	2	1	3	0	0				
मानक मद का नाम													पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
24-वृहत् निर्माण कार्य													0	3462000	0	3462000
योग													0	3462000	0	3462000

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.34,62,000 (Rupees Thirty Four Lacs Sixty Two Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER